

सोशल मीडिया सेल परिक्षेत्र आजमगढ़

PRESS NOTE AZAMGARH RANGE

जनपद-आजमगढ़/बलिया प्रेस-विज्ञप्ति

दिनांक 13.05.2023

जनपद – आजमगढ़ -

1. *नगर निकाय मतदान 2023 के दौरान फर्जी आधार कार्ड बनवाकर मतदान करने वाले 34 अभियुक्त (22 महिला/12 पुरुष) गिरफ्तार; 07 FIR दर्ज*

फर्जी मतदान रोकने के लिए 17 टीमों का किया गया था गठन

➡ *थाना मुबारकपुर*

नगर निकाय चुनाव 2023 के मतदान के दौरान थानाक्षेत्र मुबारकपुर के मदरसा याहियाउल उलूम मतदान केन्द्र पर फर्जी आधार कार्ड बनवाकर मतदान करने वाले कुल 21 (05 पुरुष व 16 महिलाओं) के विरुद्ध *मु0अ0सं0-224/2023 धारा-171(घ)/419/420 भादवि* पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण निम्नवत है-

1. उजमा शाहिन पुत्री अबरार अहमद निवासिनी पुरासोफी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
2. सोवाद परवीन पुत्री अबरार अहमद निवासी पुरासोफी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
3. तूबा खातून पुत्री अबरार अहमद निवासिनी पुरा सोफीथाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
4. गुलनाज पत्नी मु0 शैफ निवासिनी मुहल्ला कटरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
5. आलिया खातून पत्नी गुलाम शाबिर निवासिनी पुरारानी थाना मुबारकपुर
6. सिदरा फातमा पुत्री शकिल अहमद निवासी अलीनगर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
7. सुम्बुल फातिमा पुत्री शकिल अहमद निवासिनी अलीनगर थाना मुबारकपुर
8. उजमा अन्जुम पुत्री मो0 कासिम निवासिनी पुरानी बस्ती थाना मुबारकपुर
9. साबिया खातून पुत्री अब्दुल्ला निवासी अलीनगर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
10. मैमुननिशा पत्नी इजहार अहमद निवासिनी पुरानी बस्ती थाना मुबारकपुर
11. अरशी पुत्री अब्दुल किर्व निवासिनी पुरा दुल्हन थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
12. शाहिदा खातून पुत्री मोहम्मद अहमद निवासिनी पुरादुल्हन थाना मुबारकपुर
13. सानिया पत्नी सादाब निवासिनी ग्राम अमिला हिन्द नगर थाना मुबारकपुर
14. रजिया खातून पुत्री अन्सार अहमद निवासिनी पुरारानी थाना मुबारकपुर
15. सारिया सदफ पुत्री अन्सार अहमद निवासिनी पुरासोफी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
16. सरफुद्दीन पुत्र सलाहुद्दीन निवासी गोलवा टोला थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ
17. शफीउज्जमा पुत्र सेराजुद्दीन निवासी इस्लामपुरा थाना मुबारकपुर
18. मो0 फहीम पुत्र अंसार अहमद निवासी ग्राम पुराखिजिर थाना मुबारकपुर
19. मामूर पुत्र फजरूरहमान निवासी नेवादा थाना मुबारकपुर
20. एलास पुत्र गुलाम रसूल निवासी पुराख्वाजा थाना मुबारकपुर
21. एरम पुत्री मुस्ताक निवासी अमिलो हिन्द नगर थाना मुबारकपुर को मतदान केन्द्र मदरसा याहियाउल उलूम मुबारकपुर से गिरफ्तार किया गया।

➡ *थाना बिलरियागंज*

थाना बिलरियागंज के अंतर्गत फर्जी आधार कार्ड बनवाकर मतदान करने वाले 06 (05 महिला व 01 पुरुष) के विरुद्ध कुल 03 अभियोग पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण निम्नवत है:-

मु.अ.स. 167/2023 धारा 171-F/419/420 भादवि बनाम 01 नफर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ ।

1. जोहा पुत्री खुशीद निवासी कासिमगंज बिलरियागंज को प्राथमिक पाठशाला एकरामनगर बिलरियागंज पर फर्जी आधार कार्ड से मतदान के दौरान गिरफ्तार किया गया।

मु.अ.स. 168/2023 धारा 171-F/419/420 भादवि बनाम 01 नफर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ ।

1-अशरफ पुत्र नौशाद निवासी मोहिउद्दीनपुर बिलरियागंज को पंचायत भवन मोहिउद्दीनपुर मतदान केंद्र से गिरफ्तार किया गया।

मु.अ.स. 169/2023 धारा 171-F/419/420 भादवि बनाम 04 नफर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ ।

1. तुबा पुत्री मुमताज निवासी अलाउद्दीनपट्टी बिलरियागंज

2. नीलोफर पत्नी दानिश निवासी अलाउद्दीनपट्टी बिलरियागंज

3. परवीन पत्नी मुमताज निवासी अलाउद्दीनपट्टी बिलरियागंज

4. सब्बा पुत्री मुमताज निवासीगण अलाउद्दीनपट्टी बिलरियागंज को प्राथमिक पाठशाला अलाउद्दीन पट्टी बिलरियागंज पर फर्जी मतदान करने के दौरान गिरफ्तार किया गया।

➡ *थाना कोतवाली*

थाना कोतवाली के अन्तर्गत मतदान केन्द्र शिबली नेशनल डिग्री कालेज पहाड़पुर पर फर्जी आधार कार्ड बनवाकर मतदान करने वाले 04 व्यक्तियों के विरुद्ध *मु.अ.स. 235/23 धारा 171H/419/420,120 बी भादवि* पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण निम्नवत है:-

1. फहद उस्मानी पुत्र नैय्यर अहमद निवासी कोटकिला थाना कोतवाली आजमगढ़

2. मो. सलीम पुत्र सुल्तान अहमद निवासी फत्तनपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

3. आसिफ पुत्र अलीरजा निवासी सरायमीर शिवाला थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

4. इमरान पुत्र मो. अमीन निवासी हडहा बाबा थाना सिधारी आजमगढ़ ।

➡ *थाना जहानागंज*

थाना जहानागंज के अन्तर्गत फर्जी आधार कार्ड बनवाकर मतदान करने वाले 03 (02 पुरुष व 01 महिला) व्यक्तियों के विरुद्ध कुल 02 अभियोग पंजीकृत किये गये है। गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण निम्नवत है:-

मु0अ0सं0- 221/23 धारा 171/419/420 भादवि थाना जहानागंज, आजमगढ़ ।

1. फरहत आफरीन पुत्री अबूबकर निवासी चकसहदरिया थाना जहानागंज, आजमगढ़ को प्राथमिक विद्यालय जहानागंज पर फर्जी मतदान करने के दौरान गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

मु0अ0सं0-222/23 धारा 171-F/419/420 भादवि, थाना जहानागंज, आजमगढ़ ।

1. विजय राजभर पुत्र बेचू राजभर निवासी बरहतिर जगदीशपुर, थाना जहानागंज, आजमगढ़,

2. मनीष कुमार पुत्र इन्द्रजीत राम निवासी बरहतिर जगदीशपुर, आजमगढ़, को मतदान केन्द्र बरहतिर जगदीशपुर से फर्जी मतदान करने के दौरान गिरफ्तार किया गया।

फर्जी आधार कार्ड के साथ मतदान करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार व्यक्तियों का संख्यात्मक विवरण-

क्र.स.	थाना	कुल कितनी FIR	अभियुक्त		कुल अभियुक्त
			पुरुष	महिला	
1	कोतवाली	01	04	-	04
2	मुबारकपुर	01	05	16	21
3	बिलरियागंज	03	01	05	06
4	जहानागंज	02	02	01	03
	कुल संख्या-	07	12	22	34

जनपद –बलिया

1. थाना बांसडीह पुलिस टीम द्वारा बालिका की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 नफर अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा व कारतूस बरामद ।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री राज करन नय्यर के निर्देशन मे अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बांसडीह पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है ।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 08.05.2023 को थाना बांसडीह अन्तर्गत वादी द्वारा अपनी पुत्री के गुमशुदा होने की लिखित सूचना दी गयी कि जिस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर बांसडीह पुलिस टीम द्वारा उक्त गुमशुदा की तलाश की जा रही थी कि दिनांक 09.05.2023 को वादी के घर के पास से गुमशुदा बच्ची का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई इस सूचना पर तत्काल बांसडीह पुलिस टीम द्वारा शव को कब्जा पुलिस में लेकर पोस्टमार्टम करवाया गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोटकर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया। श्रीमान् पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक बलिया श्री दुर्गा प्रसाद तिवारी के नेतृत्व में टीमों का गठन कर जल्द से जल्द घटना का अनावरण व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था। जिस क्रम में आज दिनांक 12.05.2023 को प्रभारी निरीक्षक बांसडीह श्री योगेन्द्र प्रसाद सिंह मय फोर्स व निरीक्षक अपराध थाना कोतवाली श्री संजय शुक्ला की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा से सम्बन्धित व प्रकाश में आए 01 नफर अभियुक्त 1. उमेश कुमार बिन्द जनपद बलिया को ग्राम बड़सरी के पास स्थित मुन्ना सिंह के बंदशुदा भट्टे के पास से पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पास से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किया गया। घायल अभियुक्त को हिरासत पुलिस में लेते हुए इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा गया। अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर फायर करने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण— पूछताछ के क्रम में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 08.05.2023 को गांव के बगल एक भट्टे के पास से बच्ची को बिस्किट का लालच देकर उसे स्वामीनाथ की झोपड़ी पर ले गया जहां शोर करने पर बच्ची का मुँह व गला दबा कर उसकी हत्या कर भोर के समय में शव को बच्ची के घर के पास ले जाकर लिटा दिया था।

पंजीकृत अभियोग –

1. मु0अ0सं0 215 /2023 धारा 307 भादवि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बांसडीह बलिया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

1. उमेश कुमार बिन्द निवासी जनपद बलिया।

बरामदगी –

- 01 अदद नाजायज देशी तमंचा.315 बोर।
- 01 अदद मिस व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर।